भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2595

दिनांक 09 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

ई-पंचायत

†2595. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'डिजिटल भारत' कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय ने मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के भाग के रूप में ई-पंचायतों के सृजन की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम सचिवालयों की स्थापना करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विशेष रूप से बुंदेलखंड के गाँवों के उक्त ग्रामीण सचिवालयों में प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारें चिह्नित किये गए संकुलों में आईटी समर्पित ग्राम सचिवालय स्थापित करने में असफल रही है; और

(च) सरकार द्वारा आरजीएसए के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिसमें आयोजना, बजटन,क्रियान्वयन, लेखा, निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा और नागरिक सेवाएं जैसे कि प्रमाण पत्र, लाइसेंस जारी करना, कर संग्रह इत्यादि सहित पंचायतों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक सूइट विकसित किया गया है । यह एप्लीकेशन पंचायती एंटरप्राइज सूइट (पीईएस) का हिस्सा हैं। इन एप्लीकेशन्स का विवरण **अनुबंध- I** पर है। इसके अलावा, कुछ राज्यों ने अपने राज्य-विशिष्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स भी विकसित और लागू किए हैं।

(ख) से (च) "स्थानीय निकाय" या 'पंचायत' राज्य विषय है, जिसके लिए बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना और प्रक्रियाओं का निर्धारण संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा किया जाता है। राज्यों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) और चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान करके पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राज्यों की पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को संपूरित कर राज्य सरकारों को मजबूत बनाता है। आरजीएसए योजना राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार पंचायतों की कुछ बुनियादी आवश्यकताओं जैसे पंचायत भवन के निर्माण/ मरम्मत, मानव संसाधन सहायता, कंप्यूटर इत्यादि के लिए सहायता प्रदान करने की परिकल्पना करती है। आरजीएसए योजना में ग्राम सचिवालयों (विलेज सेकरेटेरिएट) के लिए निधि प्रदान करने हेतु कोई अलग घटक नहीं है। वित्तीय वर्ष **2019-20** के दौरान निर्माण और मरम्मत के लिए आरजीएसए के तहत अनुमोदित पंचायत भवनों की संख्या का राज्यवार विवरण **अनुबंध- II** पर है। ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण की वर्तमान स्थिति को **अनुबंध- III** पर भी देखा जा सकता है।

*****

अनुबंध - I

दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2595 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>पंचायत एंटरप्राइज सूइट एप्लीकेशनस की सूची</u>

क्रम सं.	एप्लीकेशन	विवरण
1	**प्रियासॉफ्ट**	यह एक वेब आधारित एप्लिकेशन है जो वाउचर प्रविष्टियों के माध्यम से रसीद और व्यय विवरणों को दर्ज करता है और स्वचालित रूप से कैश बुक, रजिस्टर, उपयोग प्रमाणपत्र आदि सृजित करता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पंचायतों द्वारा चार बाउचरों को दर्ज (रसीद / भुगतान / कॉन्ट्रा / जर्नल) करना इसकी एकमात्र आवश्यकता है जो स्वचालित रूप से सभी संबंधित विवरण और रिपोर्ट सृजित करेगा। प्रियासॉफ्ट दोहरी प्रविष्टि, लेखांकन के नकद उधार का अनुसरण करता है और यह कैग द्वारा अनुशंसित चार स्तरीय सरलीकृत मॉडल लेखा प्रारूप पर आधारित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाएं प्रियासॉफ्ट में उपलब्ध हैं, जिन्हें खाता शीर्षों के साथ मैप किया जाता है।
2	**प्लानप्लस**	प्लानप्लस सहभागी विकेंद्रीकृत योजना को मजबूत करने में सुविधा प्रदान करता है और जिले के साथ-साथ क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने में सक्षम बनाता है। यह उचित विकास इकाई के लिए नागरिकों / योजना इकाइयों को अपने विकास की जरूरतों को भी प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। इस एप्लिकेशन को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के विभिन्न घटकों को समाहित करने के लिए संशोधित किया गया है।
3	**नेशनल पंचायत पोर्टल(एनपीपी)**	यह सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारी साझा करने के लिए प्रत्येक पंचायत (अर्थात् जिला पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और ग्राम पंचायतों) के लिए डायनामिक वेब साइट है। एनपीपी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई सूचना और सेवाओं तक सहज पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। एनपीपी राज्य पंचायती राज विभागों के लिए डायनामिक वेबसाइट बनाता है और प्रत्येक पंचायत अपनी पसंद के यूआरएल का उपयोग करके अपनी वेबसाइट तक पहुँच बना सकती है।
4	**स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी)**	स्थानीय सरकारों के सभी विवरणों को दर्ज करता है और यूनीक कोड प्रदान करता है। विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के साथ पंचायतों को मैप करता है। यह सभी ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के बीच अंतःसंचालन को सक्षम बनाता है।
5	**एक्शनसॉफ्ट**	इसका उद्देश्य प्लॉन प्लस में उपलब्ध विभिन्न यूएलबी, आरएलबी और संबंधित विभागों की अंतिम रूप से स्वीकृत योजनाओं (कार्य योजना) के भाग के रूप में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की निगरानी करना और रिकॉर्ड रखना है। यह कार्यों की वित्तीय और वास्तविक प्रगति की उचित रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत किए गए कार्यों की स्थिति और किए गए खर्च की निगरानी के लिए एक माध्यम/ टूल के रूप में कार्य करता है।

क्रम सं.	एप्लीकेशन	विवरण
6	**राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्देशिका (एनएडी)**	यह बनाई गई / अनुरक्षित की गई संपत्तियों का विवरण दर्ज करता है; कार्यों के दोहराव से बचने में मदद करता है और रखरखाव के लिए प्रावधान करता है। एनएडी में पंचायतों की भौगोलिक सीमाओं के भीतर मौजूदा चल और अचल संपत्ति (यानी सार्वजनिक और निजी दोनों जैसे कि प्रमुख स्कूल, बैंक और अस्पताल) का विस्तृत विवरण शामिल है। यह पंचायतों द्वारा बनाई गई / अनुरक्षित / उनके नियंत्रणाधीन परिसंपत्तियों की पहचान के लिए यूनीक संपत्ति आईडी भी जारी करता है।
7	**एरिया प्रोफाइलर**	किसी गाँव / पंचायत की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, अवसंरचनात्मक, सामाजिक-आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों को दर्ज करता है। सभी क्षेत्रीय कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए यूनिवर्सल डेटाबेस है और निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों, चुनाव ब्यौरों आदि का विवरण प्रदान करता है। एरियाप्रोफाइलर एक केंद्रीकृत डेटाबेस है जो पंचायतों के विभिन्न विवरण जैसे निकटतम स्थानीय निकायों, पर्यटन स्थलों और ठहरने की सुविधा आदि उपलब्ध कराता है।
8	**सर्विसप्लस**	सभी राज्यों में सभी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान करने में मदद करने के लिए एक डायनामिक मेटाडेटा-आधारित सेवा प्रदायगी पोर्टल है। किसी भी शिकायत निवारण अनुप्रयोग की क्रियाशीलता को भी इस एप्लिकेशन में शामिल किया गया है। सर्विसप्लस सरकार और नागरिकों दोनों को लाभ प्रदान करता है: **सरकार को लाभ** *- सेवा प्रदायगी से जुड़े सभी नियमों का विन्यास करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार परिभाषित नियमों के अनुसार सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करता है।* *- नागरिकों को सूचनात्मक और लेनदेन संबंधी दोनों ही सेवाओं की त्वरित, कुशल और पारदर्शी प्रदायगी और आवेदन प्रसंस्करण की कुशल निगरानी प्रदान करता है।* *- भूमिका के संदर्भ में प्रत्येक सेवा और कियोस्क नीति के लिए कार्य दिशा को परिभाषित करता है।* *- कार्य दिशा को संरेखित करता है, सरकारी विभागों के कार्यभार को कम करता है और सेवा प्रदायगी में दक्षता में सुधार करता है।* **नागरिकों को लाभ** *- नागरिकों को एक एकीकृत एकल, यूनीफाइड पोर्टल प्रदान करता है (विंडो-एकल)* *- एक ही विंडो पर देश भर में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी हकदारी के संबंध में पूछताछ के लिए नागरिकों को सुविधा प्रदान करता है।* *- वे सेवाएं प्रदान करता है जो वास्तविक सेवा प्रदायगी प्रक्रियाओं / नियमों के साथ पूरी तरह से संरेखित होती हैं और इस प्रकार प्रमाण पत्र की सत्यता / वैधता सुनिश्चित करता है।* *- आवेदक की आवश्यकता के आधार पर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए वर्कफ़्लो का डायनामिक विन्यास किया जा सकता है।* *- केवल एक बार नागरिकों से सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को दर्ज करता है और इस प्रकार नागरिकों को सुविधा प्रदान करता है।*

क्रम सं.	एप्लीकेशन	विवरण
9	**सोशल ऑडिट**	सोशल ऑडिट एप्लिकेशन का उद्देश्य पंचायत द्वारा की गई विभिन्न योजनाओं के तहत काम को समझना, मापना और सत्यापित करना और संबंधित पंचायतों के सामाजिक कार्य निष्पादन में सुधार करना है। सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया में सामाजिक लेखा परीक्षक और सामाजिक लेखा सुविधाप्रदाता द्वारा विभिन्न योजनाओं के लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। एप्लीकेशन सामाजिक लेखा परीक्षक को मांगी गई जानकारी प्रदान करके सामाजिक ऑडिट प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और पंचायत /स्थानीय निकाय द्वारा की गई कार्रवाई को दर्ज करता है।
10	**प्रशिक्षण प्रबंधन**	यह नागरिकों सहित हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं, उनकी प्रतिक्रियाओं, प्रशिक्षण सामग्री आदि के लिए पोर्टल है। यह सरकारी अधिकारियों और राज्य में चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए एक एकल मंच है जिस पर वे आवश्यकताओं को संबोधित और प्रबंधित करने के लिए सरकार सहित उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं और प्रशिक्षण संगठनों को लॉग इन कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रतिभागियों का एक डेटाबेस भी रखता है (जैसे कि निर्वाचित प्रतिनिधि / विभाग के अधिकारी)। प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया दर्ज करने का प्रावधान है, जिससे उन्हें आगे के विश्लेषण में उपयोग किया जा सके।
11	**भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)**	जीआईएस मानचित्र पर सभी एप्लिकेशन द्वारा सृजित सभी डेटा को देखने के लिए एक स्थानिक परत।

अनुबंध-II

दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2595 के भाग (ख) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निर्माण और आरजीएसए के तहत अनुमोदित पंचायतभवन (जीपीबी) की संख्या

क्रम संख्या	राज्य		
		ग्राम पंचायत भवन निर्माण	ग्राम पंचायत भवन मरम्मत
1.	आंध्र प्रदेश	0	186
2.	अरुणाचल प्रदेश	80	50
3.	असम	30	60
4.	बिहार	0	117
5.	छत्तीसगढ़	0	176
6.	दादरा और नगर हवेली	5	1
7.	दमन और दीव	0	1
8.	गोवा	4	15
9.	गुजरात	30	0
10.	हरियाणा	175	38
11.	हिमाचल प्रदेश	0	50
12.	जम्मू और कश्मीर	100	100
13.	झारखंड	0	100
14.	केरल	1	30
15.	मध्य प्रदेश	0	100
16.	महाराष्ट्र	215	200
17.	मणिपुर	10	10
18.	मेघालय	0	20
19.	मिजोरम	10	5
20.	पुडुचेरी	5	5
21.	पंजाब	351	0
22.	राजस्थान	150	100
23.	सिक्किम	10	2
24.	तमिलनाडु	120	158
25.	तेलंगाना	500	200
26.	त्रिपुरा	10	0
27.	उत्तराखंड	100	150
28.	उत्तर प्रदेश	1200	500
29.	पश्चिम बंगाल	2	10

अनुबंध-III

दिनांक 09/07/2019 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2595 के भाग (ख) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार कंप्यूटरीकृत पंचायतों की संख्या

क्रम संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	जीपी की संख्या	जीपी जहा कंप्यूटर हैं	बिना कंप्यूटर की जीपी
1	आंध्र प्रदेश	12918	4700	8218
2	अरूणांचल प्रदेश	1794	142	1652
3	असम	2201	1434	767
4	बिहार	8386	4200	4186
5	छत्तीसगढ़	10978	4544	6434
6	गुजरात	14292	14025	267
7	गोवा	191	191	0
8	हरियाणा	6204	1372	4832
9	हिमांचल प्रदेश	3226	3226	0
10	जम्मू एवं कश्मीर	4483	0	4483
11	झारखण्ड	4376	3893	483
12	कर्नाटक	6021	6021	0
13	केरल	941	941	0
14	मध्य प्रदेश	22826	13386	9440
15	महाराष्ट्र	27867	26949	918
16	मणिपुर	161	65	96
17	ओडिशा	6798	6798	0
18	पंजाब	13131	603	12528
19	राजस्थान	9892	9169	723
20	सिक्किम	185	9	176
21	तमिलनाडु	12524	10015	2509
22	त्रिपुरा	591	352	239
23	तेलंगाना	13030	5881	7149
24	उत्तराखण्ड	7952	1410	6542
25	उत्तर प्रदेश	58749	49249	9500
26	पश्चिम बंगाल	3341	3341	0
27	दादरा एवं नागर हवेली	20	20	0
28	दमन एवं दीव	15	डाटा उपलब्ध नही	डाटा उपलब्ध नही
29	लक्षद्वीप	10	10	0
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	70	70	0
31	पुडुचेरी	98	98	0
	कुल संख्या	**253271**	**172114**	**81142**

एनए- जानकारी उपलब्ध नहीं है।

स्त्रोत:- मंत्रालय की संकलित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार।